

11

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता


क्रमांक : एफ 1(2)(45)स्था/मअ/2011/ 58228

जयपुर, दिनांक: 14.10.13

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि निदेशालय, महिला अधिकारिता के कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर प्रस्थान कर जाते हैं तथा किसी भी अन्य कर्मचारी को दूरभाष पर सूचित कर देते हैं। जिसके कारण राजकीय कार्य संपादन में कठिनाई आती है।

अतः समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अवकाश पर जाने से पूर्व अतिरिक्त निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही अवकाश का उपभोग करेंगे। किसी अतिआवश्यक कारणों से बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग करना पड़े तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त निदेशक को जरिए कार्यालय के दूरभाष/मोबाइल पर व्यक्तिशः सूचित करें।

  
(डॉ. अनीता कुमार)  
निदेशक  
महिला अधिकारिता


क्रमांक : एफ 1(2)(45)स्था/मअ/2011/ 58229-60

जयपुर, दिनांक: 14.10.13

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महिला अधिकारिता, राज0 जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, महिला अधिकारिता मुख्यालय
3. समस्त अधिकारीगण, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. समस्त कर्मचारीगण, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।

श्री प्रमोदराज शर्मा सीनियर प्रोग्रामर

  
अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता